न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :सदर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060103028
वाद संख्या:- 3028/2023
श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय प्र0 बैजनाथ पाण्डेय बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 26/05/2023

मौजा-रामपुर, परगना-करियातमित्तू, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़।
निर्णय
प्रस्तुत वाद श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर, प्रबंधक-श्री बैजनाथ पाण्डेय पुत्र रामचरित्तर पाण्डेय, सा0 बरहतिर जगदीशपुर, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा मौजा-रामपुर, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ के गाटा संख्या-10मि0/0.402 हे0 भूमि को गैर कृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में मौजा-रामपुर की उद्धरण खतौनी, खसरा, नजरी नक्शा, शपथ-पत्र स्वयं एवं उक्त भूमि का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है। तहसीलदार सदर द्वारा प्रपत्र 25(क) के भाग 1(ख), 2(ख), 3(ख) एवं 4(ख) में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी हैं। तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 06.04.2023 में उल्लिखित है कि वादी का नाम आराजी नेजाई में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आराजी नेजाई में वादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि का गैर कृषिक प्रयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र व तहसीलदार की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि आराजी नेजाई सीलिंग, पट्टा व सरकारी भूमि नहीं है। उक्त आराजी कृषि कार्य में उपयोग न किये जाने के कारण अकृषिक लगानमुक्त घोषित किए जाने योग्य है। उ0प्र0 के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा में विवादित आराजी के बावत कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित गाटा के सन्दर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नही हुआ था। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना मे प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त विषयक आख्या प्रस्तुत करते हुये उक्त भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत की गयी है।
तहसीलदार सदर की आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर दिनांक 06.04.2023 प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या-10मि0/0.402 हे0 भूमि कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनो में प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं बल्कि गैरकृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है। तहसीलदार सदर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार आगणित 01 प्रतिशत मु0-40200/-(चालीस हजार दो सौ रूपये मात्र) उद्घोषणा शुल्क ट्रेजरी चालान से व मु0-40200/-(चालीस हजार दो सौ रूपये मात्र) न्याय शुल्क का गैर न्यायिक स्टाम्प(ई-स्टाम्प) व मु0-1000/रू0 निरीक्षण शुल्क ट्रेजरी चालान से वादी द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली मे संलग्न है। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार अपेक्षित विधिक शर्ते पूर्ण हो रही है। ऐसी दशा में उक्त आराजी नेजाई को अकृषिक एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।
आदेश
अतः तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 06.04.2023 के आधार पर मौजा-रामपुर के गाटा संख्या-10मि0/0.402 हे0 भूमि, जो श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर जहानागंज, प्रबंधक श्री बैजनाथ पाण्डेय पुत्र रामचरित्तर सा0 बरहतिर जगदीशपुर, तहसील-सदर, आजमगढ़ के नाम अंकित है, को अकृषिक एवं भू-राजस्व मुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबंधक सदर को भेजी जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार मे दाखिल दफ्तर की जाये।
दिनांक-26.05.2023

(ज्ञान चन्द्र गुप्ता)
उपजिलाधिकारी-सदर,
आजमगढ़।

Disclaimer :